न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 283/2008
जीसीएमएस : 2008/00032

1. केहर सिंह पुत्र फौजा सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. पृथ्वीराज पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. ताराचन्द पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. ओमप्रकाश पुत्र लिछमन राम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार मण्डा, वकील वादी
2. श्री राजीव जग्गा, वकील प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 14 एम एल तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 148 मु.नं. 8, 9,40 में कुल 5.821है. बारानी खातेदारी भूमि है जिसका वादी मालिक हैं। वादी के खातेदारी रकबा मु.नं. 8 में ही वादी के रकवा को छोडकर ग्राम 14 एमएल की आबादी है अर्थत इसी मु.नं. 8 के कि.नं. 3 में 0.139, 4/2 में 0.126, 7–8 सालम सालम 0.506, 13–14 सालम 0.506 कुल 1.277है. जमीन में चक 14 एमएल की आवादी कटी हुई हैं। वादी की उपरोक्त जीमन का खातेदानरी इन्तकाल दिनांक 27.10.2005 को हुआ। वादी को उक्त जमीन आवंटन के समय चूंकि रकवा गांव की आवादी के चिपता हुआ ही था इसी मुरब्बा में गांव की आवादी थी आवंटन से पूर्व रकवा राज था। इसलिए प्रतिवादीगण आवादी की जमीन समझकर वादी के मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.13, 5 में .139है. जमीन पर अपनी झोपडी व कच्चे कोठे वना लिये जहां पशु वगैरह को वांधने लगे, चूंकि वादी की उक्त जीमन टिब्बे वाली थी वरसान नहीं होने के कारण फसल काश्त नहीं हुई तथा वादी की समस्त जमीन बारानी थी इसलिए पता भी नहीं चल पाया कि उनकी जमीन कहां तक हैं। जब वादी की जमीन का खातेदारी इंतकाल दर्ज हुआ, खातेदार मालिक का टाईटल हासिल हुआ व जमीन का नाप तोल करवाया तो वादी को पता चला कि उनके मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.13, 5 में 0.139है. जमीन पर प्रतिवादीगण ने विना किसी वैद्य कानूनी अधिकार के उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा हैं। जिस पर दिसम्बर 2007 के प्रथम सप्ताह में वदी ने प्रतिवादीगण को स्वयं व गांव के मौतबिरान आदमियों के मार्फत सम[illegible] नहीं थी, पता भी नहीं चला तथा ना ही खेती होती थी। चूंकि इस खातेदारी ज[illegible]ल लगा लिया है, खेती होने लगी इसलिए आप मेरी जमीन से नाजा[illegible] कि दो महिने का समय दो उसके बाद खाली कर देंगे। इस [illegible] व्यतीत करते रहे दो माह के इन्तजार के बाद वादी ने फिर [illegible] जमीन से नाजायज कब्[illegible] से इन्कार हो गये तक वादी ने वादी द्वारा उपजिला कलेक्ट[illegible] दनिांक 28.12.2007 को [illegible]पेश किया जिस पर उपजिला कलेक्टर ने तहसीलदार रायसिं[illegible] को प्रतिवादीगण से कब्[illegible]कर वादी को कब्जा दिलवाने का आदेश दिया जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर ने पटवारी से जांच कर रिपोर्ट करने को कहा जिस पर पटवारी ने प्रतिवादीगण को नाजायज कब्जा माना और वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमीन वादी की खातेदारी मानी। पटवारी ने भी प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने हेतु कहा तो नाजायज कब्जा छोडने से इन्कार हुए। पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपजिला कलेक्टर ने वादी को कहा कि आप नाजायज कब्जा छुडवाने हेतु अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत करें इसलिए वादी यह वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादग्रस्त जमीन का वादी खातेदार कृषक मालिक हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन के ना तो टिनेन्ट है तथा ना ही उस पर किसी प्रकार का उनका टाईटल हैं। वादी प्रतिवादीगण को बेखल कर कब्जा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन हैं तथा वादी ने सरकार में उक्त जमीन की राज किश्ते जमा करवाई हैं। उनको खातेदारी कूक हासिल हुए हैं इस प्रकार वाग्रस्त जमीन का मालिक वादी हैं। अतः वाद पत्र स्वीकार कर चक 14 एमएल का मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.013, 5 में 0.139, 6 सालम 0.253है. बारानी जमीन जो वादी की खातेदार है, कि.नं. 4–5 की जमीन पर प्रतिवादीगण के कच्चे कोठे व झोपडी बनाम तथा कि.नं. 6 में लकड़िया डालकर नाजायज कब्जा कर रखा हैं, प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने के आदेश फरमाने एवं जब से वादी क खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तब से अब तक व दौराने वा प्रत्येक वार्षिक ईय के रेन्ट का पन्द्रह गुणा शारित कायम किया जाकर प्रतिवादीगण से दिलाने व जब कि वादग्रस्त जमीन का कब्जा वादी को नहीं मिलता हैं तब तक रकबा को रिसीवर का जमीन को कुर्क करने के आदेश फरमाने बाबत डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जवाब प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध दिनांक 17.10.2008 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश करने पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर 2000 रू कोस्ट पर जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर दिया गया। परन्तु प्रतिवादी सं. 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि जिस रकबा को वादी द्वारा कुछ समय पूर्व 5–6 माह से काश्त किया जा रहा है उस रकबा के पास ही प्रतिवादीगण के रिहायश मकान बने हुए हैं जिस पर प्रतिवादीगण के पहले पूर्वज मकान बनाकर रिहायश किये हुए थे व उनके पश्चात मकानात में प्रतिवादीगण परिवार सहित रिहायश कर रहे हैं व इस पर 80 वर्षों से लगातार प्रतिकूल कब्जा शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण का चला आ रहा हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कभी भी कब्जा हटाने हेतु नहीं कहा। पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया। पटवारी हल्का द्वारा की गयी जांच व भूमि पैमाईश एकपक्षीय है तथा सही नहीं हैं। वादी द्वारा पूर्व में कोई आपति वं एतराज कही भी दर्ज नहीं करवाया इसलिए वादग्रस्त जगह पर वादी को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हैं। इसलिए दावा वादी चलने काबिल नहीं हैं। वादग्रस्त जगह के आस पास अन्य लोगों द्वारा मकानात बनाकर काफी पुरानी रिहायश की हुई है व पुराने कमान बनाकर रह रहे हैं लेकिन वादी द्वारा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की हैं, व प्रतिवादीगण को नाहक तंग परेशान करने हेतु दावा पेश किया हैं। वादी द्वारा आस पास में रह रहे व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने से प्रकरण में पक्षकारान के कुसंयोजन का दोष आ गया हैं। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं दावा 183 बी का है जिसे तहसीलदार के समक्ष पेश करना चाहिए था। वादी को कोई बिनाए दावा व मुखरमत दावा हासलि नहीं हैं। प्रतिवादी विवादग्रस्त जगह पर प्रतिकूल कब्जाधारी है इसलिए दावा चलने काबिल नहीं हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त जगह को रिसीवर किए जाने की इस्तदुआ की है जिस हेतु धारा 145 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। वाद वादी खारिज करने हेतु निवदेन किया।

प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर अपने साक्ष्य में शपथ पत्र केहर सिंह एवं सुखदेव सिंह का पेश हुआ। केहर सिंह के शपथ पत्र ब्यान दर्ज किये जाकर जिरह पूर्ण की गयी एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये। वादी की ओर से साक्षी हाजिर नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य वादी बंद किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र रामचन्द्र एवं औरमप्रकश का पेश हुआ। साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु प्रति0 सं. 1 रामचन्द्र एवं प्रतिवादी सं. 4 औमप्रकाश को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित रहने बाबत पांबध करने बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटन हुई थी, जिसकी किश्तें जमा करवाई गयी हैं। भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी हैं। प्रतिवादीगण भूमि पर नाजायज तौर पर काबिज हैं। अतः वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने बाबत डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 5 पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जवाब दावा के तथ्यों के दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से प्रतिवादीगण का हैं, वादी को बिनाए दावा हासिल नहीं हैं। तथा प्रकरण 183 बी आरटीए

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

आपेता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार से संबंधित हैं तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने के कारण काबिल ए खारिज हैं। अतः वाद वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं–

तनकी सं. 1 :– आया कि वादी चक 14 एमएल के मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.013, 5 में 0.139, 6 सालम का खातेदार हैं ओर वादी उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत प्रदर्श 1 जमाबंदी 14 एमएल संवत 2062–65 खाता सं. 148/150 प्रदर्श करवायी गयी हैं। जिस में प.नं. 108/274 मु.नं. 8 कि.नं. 4/2 की 0.013है., 5 की 0.139है., 6–15–16 सालम, 17/2 की 0.228है, 24–25 सालम सालम कुल 1.645है. बारानी भूमि केहर सिंह वल्द फौजा सिंह कौम मजबी सा. देह खातेदार ई.नं. 236 हुक्मन 243 विरास्तन दर्ज हैं। तथा जमाबंदी के कॉलम सं. 11–12 की प्रविष्टी अनुसार ई.नं. 291 खातेदारी 27.10.05 द्वारा रकबा खातेदार हुआ, अंकित है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि विवादग्रस्त रकबा वादी की खातेदारी भूमि हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं जिसके आधार पर कब्जा वादी का ना होकर प्रतिवादीगण का सिद्ध होता हो। एवं प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों(जिन पर जिरह नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जा चुके हैं) में अंकित किया हैं कि विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा 80 वर्षों से उनके पूर्वजों तथा पूर्वजों के देहान्त के पश्चात से प्रतिवादीगण का कब्जा हैं। जिरह शपथ पत्र केहर सिंह में अंकित हैं कि "यह कहना गलत हैं कि रामचन्द्र वगैरा प्रतिवादीगण मेरे आवंटन से पूर्व बैठे हो लेकिन रामचन्द्र वगैरा मेरे आवंटन के बाद भूमि पर बैठे हैं। यह कहना गलत हैं कि मेरी जमीन पर प्रतिवादीगण न बैठे हों। मैंने पैमाईश जमीन की कराई थी। पैमाईश का मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं हैं। पत्रावली में हो सकता हैं। प्रतिवादीगण के अलावा अन्य लोगों ने मेरी जमीन पर नहीं बैठे हैं। बल्कि आबादी की भूमि पर मकान बनाकर बैठे हुए हैं। यह कहना गलत हैं कि प्रतिवादीगण का गत 80 वर्षों से शांतिपूर्व कब्जा चला आ रहा हो।" प्रतिवादीगण द्वारा इसके विरोध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। वादी ने चित्रप्रति वादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत 14 एमएल का मु.नं. 8 के कि.नं. 4–5 से कब्जा छुड़ाने बाबत दिनांक 28.12.2007 एवं चित्रप्रति रिपोर्ट पटवारी प.नं. उड़सर तहसील रायसिंहनगर दिनांक 21.01.2008 भी पेश की हैं। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि हैं, जिस पर वादी को समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं एवं वादी प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करवाने का अधिकारी हैं।

अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी सं. 2 :– आया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 80 वर्ष से काबिज है और प्रतिकूल कब्जा के कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि के मालिक हो गये हैं। और वादी को प्रतिवादीगण को बेदखल करने का हक एवं अधिकार नहीं हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जा आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने कारण वाद वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया था। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका अथवा उनके पूर्वजों का 80 वर्ष से कब्जा सिद्ध होता हो। तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों पर जिरह हेतु साक्षीयों को हाजिर होने बाबत न्यायालय द्वारा पाबंध किये जाने पर भी जिरह हेतु साक्षी हाजिर नहीं आने के कारण शपथ पत्रों पर जिरह नहीं हुई है। तथा वादी के शपथ पत्र पर हुई जिरह में वादी प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा होना स्वीकार नहीं किया हैं। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहें हैं।

अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी सं. 3 :– आया कि वाद वादीगण पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण खारिज योग्य हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। जिरह शपथ पत्र वादी में वादी ने स्वीकार किया हैं कि प्रतिवादीगण के अलावा अन्य लोगों ने मेरी जमीन पर नहीं बैठे हैं। बल्कि आबादी की भूमि पर मकान बनाकर बैठे हुए हैं। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।

अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी सं. 4 :– आया कि वाद धारा 183 बी अन्तर्गत क्षेत्राधिकार तहसीलदार का होने कारण वाद वादी खारिज योग्य हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।

अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिहाला उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि चक चक 14 एमएल का मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.013, 5 में 0.139, 6 सालम 0.253है. बारानी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बतौर अतिक्रमी बेदखल किये जाने आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 283 / 2008
जीसीएमएस : 2008 / 00032
1. केहर सिंह पुत्र फौजा सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. पृथ्वीराज पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. ताराचन्द पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. ओमप्रकाश पुत्र लिछमन राम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः–02.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री देवेन्द्र कुमार मण्डा अधिवक्ता वादी, श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है किः– वाद पत्र वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि चक चक 14 एमएल का मु.नं. 8 के कि.नं. 4 में 0.013, 5 में 0.139, 6 सालम 0.253है. बारानी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बतौर अतिक्रमी बेदखल किये जाने आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

डिक्री आज दिनांक 02.03.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner